

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2018
देहरादून: दिनांक: 07 मार्च, 2019

544561/A.
Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2018
Dehradun: Dated 07 March, 2019

Office Memorandum

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-249/XXVII(7)02/2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिक्रमिit करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 09 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2019 @ 9% instead 12% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 249/XXVII(7)02/2018 Dated 19 September, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of Honble High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective Deptt.

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(Amit Singh Negi)
Secretary

[Handwritten signature]
AAO/Pension
26-03-2019

संख्या- 31 (1)/XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कंपागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 150 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

No 31 (1)/XXVII(7)02/2016, the dated,

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 2- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5. Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.
7. Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 150 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,
(Amit Singh Negi)
Secretary